निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 (कानूनी नियम और आदेश)

प्ररूप 21ग

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

राजस्थान राज्य के 18-जालोर संसदीय निर्वाचन- क्षेत्र से लोक सभा के लिए निर्वाचन।

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रातिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूं कि :--

श्री देवजी पटेल, 10, कलबियों का वास, जाजूसन, तहसील सांचौर, जिला जालोर जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा खड़े किये गए।

उपर्युक्त निर्वाचन—क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए है।

रथान : जालोर

तारीख: 23 मई 2019

(महेन्द्र सोनी)

रिटर्निंग आफिसर

(जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जालोर) 18—जालोर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र

(महेन्द्र सोनी) रिटर्निंग ऑफिसर

(जिला कलक्टर एवं जिला गजिस्ट्रेट,जालोर) :15 जिल्हा जसदोय निर्वाचन क्षेत्र,

Conduct of Elections Rules, 1961 (Statutory Rules and Order)

FORM 21C (See rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

Election to the House of the People from the **18-JALORE** Parliamentary constituency in Rajasthan State.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of the Elections Rules, 1961.

I declare that- Devaji Patel, 10, Kalbiyo ka Vas, Jajusan, Tehsil Sanchore District Jalore Sponsored by Bharatiya Janata Party has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place: Jalore

Date: 23rd May 2019

(Mahendra Soni)

Returning Officer

(District Collector and District Magistrate Jalore)

18-Jalore Parliamentary Constituency

(महेन्द्र सोनी) रिटर्निंग ऑफिसर

(जिला कलक्टर एवं जिला गजिस्ट्रेट,जालोर) -18 जालोर असवीय निर्वाचन क्षेत्र,